मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 21.05.2025

थाना कछवां पुलिस द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने एवं लोक परिशांति भंग करने के अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्त गिरफ्तार —

थाना कछवां, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 20.05.2025 को वादी रामजतन यादव पुत्र स्व0 सोमारू यादव निवासी आराजी लाइन सुल्तानपुर अदलपुरा थाना चुनार जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादी के भतीजे को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने, गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने तथा लोक परिशांति भंग करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-72/2025 धारा 115(2),352,351(2),110,125,324(4),3(5) बीएनएस व 7 दंडविधि अधि. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कछवां को निर्देश दिए गए । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कछवां पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः21.05.2025 को उप निरीक्षक राजनारायण सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना कछवां क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद 03 अभियुक्तों 1. हौशिल प्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 छोटू राम , 2. शुभम शर्मा पुत्र हौशिल शर्मा निवासीगण नहवानीपुर थाना कपसेठी जनपद वाराणसी व 3. किशन शर्मा पुत्र इश्वरी शर्मा निवासी दामोदरपुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।